



# मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कालोनी, भोपाल- 462 016 (म.प्र.)

☎: 0755-4278339, पी.बी.एक्स: 2466191, फ़ैक्स: 0755-2463742

ई-मेल: it\_mppcb@rediffmail.com वेब: www.mppcb.nic.in

286

क्रमांक /स्था/प्रनिबो/2015,

भोपाल दिनांक

//कार्यालय आदेश//

बोर्ड द्वारा "Ease of Doing Business" के अंतर्गत उद्योगों/संस्थाओं को जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 के अंतर्गत त्वरित सम्मति जारी करने की दृष्टि से "रेत खदानों" के सम्मति आवेदन पत्रों में स्थापना सम्मति प्राप्त करने की अनिवार्यता समाप्त कर सीधे उत्पादन सम्मति प्रदान करने का प्रावधान लागू किया जाता है। साथ ही खदानों को उत्पादन सम्मति आगामी पाँच वर्षों तक प्रदान की जा सकती है। रेत खदानों को जारी उत्पादन सम्मति में रेत परिवहन दौरान उत्पन्न धूल कण उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु उपयुक्त व्यवस्था पूर्ण करने के उपरांत उत्पादन प्रारंभ करने की शर्त को शामिल कर कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

(ए.ए. मिश्रा)

सदस्य सचिव

भोपाल, दिनांक 19 OCT 2015

पृ. क्रमांक 2798 /स्था/प्रनिबो/2015,  
प्रतिलिपि:-

1. मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी/मुख्य अभियंता (पर्यावरण)/अधीक्षण यंत्री- I/II/III/IV/ कार्यापालन यंत्री- I/II/III, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल/इन्दौर/धार/एसईजेड (पीथमपुर)/उज्जैन/ग्वालियर/गुना/शहडोल/जबलपुर/कटनी/छिंदवाड़ा/सागर/सतना/रीवा/सिंगरौली की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
3. आई.टी. सेल, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल।
4. गार्ड फाईल।

(ए.ए. मिश्रा)

सदस्य सचिव